केआईओसीएल लिमिटेड

सतर्कता विभाग

सतर्कता समाचार पत्र

जुलाई 2022

सतर्कता समाचार-पत्र

जुलाई 2022

सतर्कता विभाग की ओर से सभी कर्मचारियों एवं उनके परिवार के सदस्यों को ईद-उल-जुहा, स्वतंत्रता दिवस, गौरी-गणेश पूजा, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी एवं ओनम के अवसर की अग्रिम शुभकामनाएं।

सतर्कता विभाग ने कम्पनी एवं कम्पनी के कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा के उच्चतर स्तरों का पालन करके परिवर्तनशील कार्य विधियों के प्रति सजग रहने एवं उन्हें अंगीकार करने में सहायता प्रदान करने के अपने प्रयास अनवरत जारी रखे हैं, सर्तकता न्यूजलैटर के इस प्रस्तुत अंक में हमारे कार्य व्यवहार एवं सतर्कता के संबंध में भारत सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा जारी अद्यतन परिपत्रों एवं अधिसूचनाओं का समावेश किया गया है।

प्रस्तुत अंक में ई-प्रापण एवं ई-सतर्कता का अनुपालन किए जाने की सम्बद्ध अत्यंत प्रमुख आवश्यकताओं से संबंधित लेख भी दिए गए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों द्वारा प्रबंधन सुधार के लिए कार्यान्वित मामला अध्ययनों को भी इसमें शामिल किया गया है जिनका अनुकरण केआईओसीएल में किया जा सकता है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस अंक से संबंधित विषयों से जुड़ा हमारा ज्ञान समृद्ध होगा और हमारी कार्यप्रणाली के लिए भी यह सहायक होगा।

1 जुलाई, 2022 मुख्य सतर्कता अधिकारी

विषय सूची

भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र/अधिसूचनाएं/दिशानिर्देश

1. व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा निविदाकर्ताओं के लिए बिड प्रतिभूति-पेशगी धन जमा के चरण-वार प्रतिफल को शामिल करने के उद्देश्य से दिनांक 01.04.2022 को जारी सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 में किए गए संशोधन। [देखें]
2. व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 21.04.2022 को एल1 की ओर से प्रस्ताव का प्रत्याहार किए जाने के संबंध में माल प्रापण मैनुअल, 2017 तथा कार्य प्रापण मैनुअल, 2019 में किए गए संशोधन, पीडीएफ, [देखें]
3. लोक उद्यम विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 28.04.2022 को पदोन्नतियों के मामले में आरक्षण प्रभावी किए जाने से पूर्व अनुसरण के लिए जारी पदोन्नति आरक्षण प्रक्रिया [देखें]
4. लोक उद्यम विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा युवा व्यावसायिकों की सेवा प्राप्ति के संबंध में दिनांक 19.05.2022 को जारी प्रक्रिया एवं दिशानिर्देश [देखें]
5. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सीएसआर व्यय का संरेखन राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ किए जाने के संबंध में जारी दिनांक 12.04.2022 का कार्यालय ज्ञापन [देखें]

प्रक्रियाबद्ध सुधार एवं निवारक सतर्कता पहल

1. निविदाकर्ताओं की क्षमता एवं धारण शक्तियों का वस्तुपरक मूल्यांकन
2. विक्रेता कोड एवं डिजीटल हस्ताक्षर जारी करने की तंत्रव्यवस्था

ई-प्रापण, GeM के माध्यम से ई-प्रापण एवं ई-सतर्कता से संबंधित लेख

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पॉवरग्रिड) में निविदाकर्ताओं की क्षमता और धारण शक्तियों का वस्तुपरक मूल्यांकन

1. किए गए उपायों / की गई पहल का संक्षिप्त वर्णन

बिड दस्तावेजों में कार्य-आधारित अर्हता/अनर्हता खंड का समावेश करके एवं जारी परियोजनाओं के विद्यमान ठेकेदारों के बिड पश्चात निष्पादन मूल्यांकन की व्यवस्था के माध्यम से व्यक्तिपरकता को समाप्त करने के लिए प्रक्रिया सुधार उपाय किए जा रहे हैं। बिड मूल्यांकन के अंतर्गत अनुबंध के निष्पादन के लिए निविदाकर्ता की क्षमता एवं धारण शक्ति के मूल्यांकन किए जाते हैं जबकि इससे पूर्व निम्नलिखित पूर्व-परिभाषित अर्हता मापदंडों का अनुसरण किया जाता था:-

एमएएटी (न्यूनतम औसत वार्षिक व्यापार)

विनिर्माण क्षमता

शेष बिड क्षमता

इसके अलावा, पूर्व जारी परियोजनाओं के संबंध में विद्यमान ठेकेदारों के निष्पादन की समीक्षा एक स्थाई समिति के माध्यम से भी की जा रही थी।

किसी एजेंसी विशेष के निष्पादन की समीक्षा को उद्देश्यपरक, पारदर्शी एवं सत्यनिष्ठ बनाने के लिए पावरग्रिड सतर्कता द्वारा इस तथ्य पर बल दिया गया था कि जारी परियोजनाओं के लिए जहां तक संभव हो सके किसी प्रकार की ऐसी निष्पादन मूल्यांकन तंत्रव्यवस्था नहीं होनी चाहिए जिसका प्रभाव बिड के पश्चात के चरण में नई बिड्स पर होता हो।

सतर्कता सुझावों के आधार पर पावर ग्रिड द्वारा निदेशक मंडल के अनुमोदन से, तदनुसार, बिड्स में से गैर-निष्पादक / खराब निष्पादक / संतृप्त निष्पादकों को वस्तुपरक अर्हता मापदंडों के आधार पर बाहर किए जाने की फिल्टरिंग तंत्रव्यवस्था के समावेश के साथ बिड दस्तावेजों का मानकीकरण किया गया था।

इस दिशा में, निम्नलिखित महत्वपूर्ण नकारात्मक स्थितियों का समावेश अब निविदाकर्ता की अर्हता / अनर्हता के निर्धारण के लिए किया गया है तथा यह बिड दस्तावेज का भाग है:

ठेकेदार की चूक तथा गैर-निष्पादन के कारण निष्पादन गारंटी को भुनाए जाने की स्थिति में अनुबंध का समापन;

उपयोग के दौरान विशिष्ट प्रकार के उपकरण की बार-बार विफलता;

विद्यमान अनुबंध के अंतर्गत कार्यों का महत्वपूर्ण भाग (अनुबंध के 50% से अधिक) का उप-अनुबंध किया जाना;

फर्म को दिवाला तथा शोधन अक्षमता संहिता के अंतर्गत एनसीएलटी में संदर्भित किया जाना ।

2. पृष्ठभूमि

इससे पूर्व निविदाकर्ताओं की क्षमता और धारण शक्ति का मूल्यांकन एमएएटी (न्यूनतम औसत वार्षिक व्यापार), विनिर्माण क्षमता एवं शेष बिड क्षमता के पूर्वनिर्धारित अर्हता मापदंडों के आधार पर किया जाता था। शेष बिड क्षमता की परिभाषा निम्नलिखित थी:

शेष बिड क्षमता = 3टी - बी, जिसमें टी = का अभिप्राय पिछले 5 वित्तीय वर्षों में से किसी एक वित्तीय वर्ष में निष्पादित कार्यों का अधिकतम मूल्य है जो सम्पादित एवं कार्य प्रगति को विचार में लेकर आंका जाना है। बी = का अभिप्राय विद्यमान प्रतिबद्धताओं एवं जारी समान प्रकार के अभी पूर्ण न हुए कार्यों का मूल्य है।

निविदाकर्ता द्वारा अपनी बिड में प्रस्तुत की जाने वाली घोषणा।

प्रथम चरण के मूल्यांकन (मूल्य बिड खुलने से पूर्व) के दौरान निविदाकर्ता की घोषणा, विचाराधीन एवं विचार क्षेत्र के अंतर्गत कार्यादेश के अन्य पैकेजों को विचार में लेकर निविदाकर्ता की शेष बिड क्षमता की जांच की जाती थी।

उपरोक्त के अलावा, जारी परियोजनाओं के संबंध में विद्यमान ठेकेदारों की निष्पादन समीक्षा भी स्थाई समिति द्वारा स्थल एवं विभिन्न अन्य विभागों से प्राप्त इनपुट के आधार पर की जाती थी। इसके पश्चात, सतर्कता विभाग द्वारा इनके संबंध में निविदाकर्ताओं के मूल्यांकन में बिड पश्चात व्यक्तिपरक की स्थिति से बचाव एवं पूर्व परिभाषित स्थिति में पारदर्शिता स्थापित करने के लिए प्रक्रियाबद्ध सुधार के लिए यथोचित उपाय सुझाए गए थे।

3. कार्यान्वयन

पावरग्रिड के निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित मूल्यांकन की मौजूदा प्रक्रिया में संशोधन 17.01.2020 को अधिसूचित किए गए थे। ये अब कंपनी में पूर्ण रूप से कार्यान्वित किए जा रहे हैं तथा सभी बिड्स के लिए लागू हैं।

4. प्रभाव एवं लाभ

बिड अपवर्जन प्रक्रिया में अब व्यक्तिपरकता एवं प्रशासनिक विवेक शामिल नहीं है। यह उन कार्य आधारित मापदंडों पर आधारित है जिनका स्पष्ट ब्यौरा बिड दस्तावेजों में दिया जाता है। एक प्रकार से यह जारी अनुबंधों में विफलताओं / विलंब, यदि कोई हों, पर अधिक कुशलता के साथ लगाम कसने एवं नए अनुबंधों के लिए वित्तीय बिड को खोलने से पूर्व निविदाकर्ता की अर्हता / अनर्हता का निर्धारक उपाय भी है।

5. संगत परिणामों की प्राप्ति की संभावनाएं

पावरग्रिड में स्थापित क्षमता एवं धारण शक्ति के मूल्यांकन के नए दिशानिर्देश अधिकांश संगठनों द्वारा कार्यों के जारी बिड्स के संबंध में यथोचित स्वरूप में कार्यान्वित किए जा सकते हैं।

बीईएमएल में विक्रेता कोड और डिजिटल हस्ताक्षर प्रदान करने की प्रणाली

1.0 किए गए उपायों / की गई पहल का संक्षिप्त वर्णन

फर्जी विक्रेता खाता बनाने की स्थिति से बचाव एवं विक्रेता कोड / डिजीटल हस्ताक्षर जारी करने की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए अनेक उपाय / पहल की गई हैं:

- विक्रेता की प्राधिकृत ईमेल के माध्यम से अनुरोध प्राप्त होने पर ही विक्रेता कोड जारी किया जाता है।
- विक्रेता यूजर-आईडी और पासवर्ड केवल विक्रेता को ही सूचित किया जाता है तथा इसे क्रय अधिकारियों को सूचित नहीं किया जाता।
- विक्रेता के डेटाबेस में केवल विक्रेता से अधिकृत ईमेल आईडी अथवा कंपनी लेटर हेड के माध्यम से अनुरोध प्राप्त होने पर ही परिवर्तन किए जाते हैं।
- कॉर्पोरेट सूचना प्रौद्योगिकी टीम सभी डिजिटल हस्ताक्षरों के केंद्रीकृत डेटाबेस का अनुरक्षण करता है।
- स्थानांतरण होने की स्थिति में कार्यमुक्ति से पूर्व क्रय अधिकारी को अपने डिजीटल हस्ताक्षर सरेंडर करने होते हैं।
- अनुमोदित बिड्स के लिए प्रदान किए गए डिजीटल हस्ताक्षर के सहभाजन की अनुमति नहीं है।

2.0 पृष्ठभूमि

इस प्रणाली का कार्यान्वयन करने से पूर्व सूचना प्रौद्योगिकी टीम द्वारा क्रय अधिकारियों सहित किसी भी स्रोत से ईमेल प्राप्त होने पर विक्रेता कोड जारी किए जाते थे। इससे फर्जी विक्रेता खाता खोले जाने और क्रय अधिकारियों के मध्य दुरभिसंधि होने का जोखिम रहता था। इस स्थिति से बचाव के लिए अध्ययन करके कुछ निवारक उपाय किए गए थे और ई-बिडिंग के लिए एसआरएम पोर्टल पर आवश्यक परिवर्तन कार्यान्वित किए गए थे।

3.0 कार्यान्वयन

ई-बिडिंग के लिए एसएपी मास्टर डेटा और एसआरएम पोर्टल में आवश्यक संशोधन करके बीईएमएल की प्रणाली में इसका कार्यान्वयन पूर्ण रूप से किया गया है।

4.0 प्रभाव और लाभ

- बिड प्रक्रिया में जालसाजी से बचाव के लिए पारदर्शी एवं निष्पक्ष प्रणाली।
- विक्रेता मास्टर का अनुरक्षण
- ई-बिडिंग के लिए एसआरएम पोर्टल पर संवर्धित पारदर्शिता

5.0 संगत परिणामों की प्राप्ति की संभावनाएं

बीईएमएल में विक्रेता कोड एवं डिजीटल हस्ताक्षरों के निर्धारण की नई प्रणाली का कार्यान्वयन सार्वजनिक

क्षेत्र के सभी उपक्रमों में यथोचित रूप से किया जा सकता है।

इलेक्ट्रॉनिक प्रापण (ई-प्रापण)

1.0 इलेक्ट्रॉनिक प्रापण (ई-प्रापण) क्या है

i) इलेक्ट्रॉनिक प्रापण (ई-प्रापण) प्रापण इकाई द्वारा विक्रेताओं / ठेकेदारों के साथ माल (आपूर्तियों), कार्यों एवं सेवाओं की प्राप्ति की प्रापण प्रक्रियाओं के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (विशेषत: इंटरनेट) का वह उपयोग है, जो पारदर्शी प्रक्रियाओं के उपयोग से ओपन, अभेदमूलक एवं कुशल प्रापण के लिए लक्ष्यबद्ध है। जीएफआर 2017 के अनुसार, मंत्रालयों/विभागों के लिए अब सभी प्रापण ई-प्रापण पोर्टल के माध्यम से दरें प्राप्त करके किए जाने की अनिवार्यता है।

ii) जिन मंत्रालयों/विभागों के प्रापण का परिमाण विशाल नहीं होता है अथवा जो अपने प्रापण रोजमर्रा की कार्यालय व्यवस्थाओं के लिए करते हैं तथा जिन्होंने किसी अन्य साल्युशन प्रदात्ता के माध्यम से ई-प्रापण नहीं किए हैं वे एनआईसी द्वारा विकसित ई-प्रापण साल्युशन का उपयोग कर सकते हैं। अन्य मंत्रालय / विभाग चाहें तो एनआईसी द्वारा विकसित ई-प्रापण साल्युशन का उपयोग कर सकते हैं अथवा वे विधिवत प्रक्रिया का अनुसरण करके अन्य सेवा प्रदात्ता की सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं।

iii) ये निर्देश मंत्रालयों/विभागों द्वारा डीजीएसएंडडी दर अनुबंधों अथवा गर्वनमेंट ई-मार्केट्स (जेम) के माध्यम से किए गए प्रापण पर लागू नहीं होंगे।

iv) ऐसे विशिष्ट मामलों में जहां राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक कारणों से मांग के प्रति गोपनीयता आवश्यक होती है, उसके लिए मंत्रालय/विभाग को संबंधित सचिव के अनुमोदन एवं वित्त सलाहकारों से सहमति की प्राप्ति के पश्चात छूट प्रदान की जा सकती है।

v) विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों द्वारा जारी बिड्स के मामले में, बिड की प्रक्रिया एवं ई-प्रापण से छूट दिए जाने का निर्धारण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।

2.0 सेवा प्रदाता

सेवा प्रदाता की सेवाएं निम्नलिखित प्रक्रियाओं से युक्त ई-प्रापण सिस्टम प्रदान करने के लिए प्राप्त की जाती हैं:-

i) बिड्स जारी करने से लेकर न्यूनतम निविदाकर्ता का तकनीकी-वाणिज्यिक रूप से निर्धारण किए जाने तक के लिए अपेक्षित सभी चरण शामिल हैं;

ii) सिस्टम में सूचना का संग्रहण एवं प्रबंधन सूचना प्रणाली / निर्णय सहायक प्रणाली के लिए अपेक्षित रिर्पोटों की उत्पति करना;

iii) विभिन्न स्टेकधारकों की ऑनलाइन और ऑफलाइन सहायता के लिए हेल्पडेस्क की उपलब्धि;

iv) प्रणाली के अंतर्गत विभागीय उपयोक्ताओं के लिए डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) की व्यवस्था और अद्यतन करना; तथा

v) ई-प्रापण सिस्टम के लिए विभिन्न दस्तावेज, प्रारूप एवं अन्य दस्तावेज उपलब्ध होना;

3.0 प्रक्रिया

ई-प्रापण के अंतर्गत बिड की सभी प्रक्रियाओं की सामग्री सामान्य बिड्स के समान ही होती है तथा ऑनलाइन निष्पादन इसमें आवश्यक परिवर्तन करने के पश्चात डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के उपयोग से किया जाता है:

i) **संचार :** जहां कहीं भी पारंपरिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत लिखित संचार एवं दस्तावेज अपेक्षित होते हैं तो ई-प्रापण के लिए उससे संबंधित अनुवर्ती प्रक्रिया का संचलन अपलोडिंग/डाउनलोडिंग/ईमेल के माध्यम से पूरी तरह से ऑनलाइन माध्यम से अथवा यांत्रिक रूप से उत्पन्न एसएमएस अथवा आंशिक रूप से ऑनलाइन तथा आंशिक रूप से ऑफलाइन प्रस्तुति के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए पूर्ण रूप से ऑनलाइन प्रस्तुतियों की व्यवस्था ही उत्तम व्यवस्था है। अतिरिक्त विवरण ई-प्रापण सेवा प्रदात्ता के पोर्टल पर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। ई-प्रापण के लिए बिड शुल्क, पेशगी धन जमा एवं ऐसे भुगतान से छूट प्राप्ति के समर्थित दस्तावेज एनआईटी (बिड आमंत्रण सूचना) के प्राधिकृत नामिती को पेपर स्वरूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं परन्तु इनकी स्कैन की गई प्रतियों को अपलोड किया जाना चाहिए तथा ऐसा न किए जाने की स्थिति में बिड को खोला नहीं जा सकेगा। भविष्य में इस प्रकार के भुगतान ऑनलाइन स्वरूप में किए जाने की अनुमति दी जा सकती है;

ii) **बिड्स का प्रकाशन :** प्रापण इकाई के डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र धारक प्राधिकृत कार्यकारी द्वारा बिड्स का प्रकाशन ई-प्रापण पोर्टल पर किया जाता है। बिड को जारी करने के पश्चात सिस्टम में एक विशिष्ट ''बिड आईडी'' की उत्पति यंत्रवत स्वरूप में होती है। बिड का निर्माण / प्रकाशन किए जाने के दौरान ''बिड खोलने वाले'' चार अधिकारियों (प्रापण इकाई से दो तथा सम्बद्ध/एकीकृत वित्त से दो अधिकारी) का निर्धारण इस प्रावधान के साथ किया जाता है कि इन चार अधिकारियों में से किन्हीं दो अधिकारियों द्वारा बिड को खोला जा सकेगा। सामान्य बिड्स की तरह ही, एनआईटी के विज्ञापन भी समाचार पत्रों तथा प्रापण इकाई की वेबसाइट के माध्यम से जारी किए जाते हैं । बिड आमंत्रण सूचना (एनआईटी) के ई-प्रकाशन के तत्काल पश्चात बिड को डाउनलोड करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है तथा यह बिड प्रस्तुति की अंतिम तिथि एवं समय तक जारी रह सकती है। बिड आमंत्रण सूचना (एनआईटी) के ई-प्रकाशन के अगले दिन बिड प्रस्तुति प्रारंभ होगी। सीमित एवं पीएसी/एकल बिड्स के मामले में पोर्टल से सूचना का प्रेषण लक्षित विक्रेताओं / ठेकेदारों को एसएमएस / ईमेल के माध्यम से भी किया जाना चाहिए;

iii) **पोर्टल पर निविदाकर्ताओं का पंजीकरण** : बिड की प्रस्तुति के लिए निविदाकर्ताओं को अपने वैध डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के साथ अपना पंजीकरण ई-प्रापण पोर्टल पर ऑनलाइन करना होगा जो कि केवल एक बार किया जाना अपेक्षित है। पंजीकरण निविदाकर्ता के नाम से किया जाना चाहिए जबकि डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र का धारक निविदाकर्ता स्वयं अथवा उसका विधिवत प्राधिकृत कोई व्यक्ति हो सकता है। निविदाकर्ताओं को यूजर पोर्टल अनुबंध की स्वीकृति, किसी भी शर्त के बिना, ऑनलाइन करनी होगी जिसमें वाणिज्यिक एवं सामान्य नियमों एवं शर्तों एवं अन्य शर्तों, यदि कोई हों, के साथ साथ बिड आमंत्रण सूचना से जुड़े नियम एवं शर्तों की स्वीकृत शामिल है तथा इसके साथ ऑनलाइन बिड के लिए प्रस्तुत तथ्यों, आंकड़ों, सूचना एवं दस्तावेज के सत्यापन की

घोषणा के समर्थन में ऑनलाइन वचनपत्र की प्रस्तुति की जानी भी अपेक्षित है;

iv) **बिड की प्रस्तुति:** निविदाकर्ताओं को अपनी तकनीकी-वाणिज्यिक बिड एवं मूल्य बिड की प्रस्तुति ऑनलाइन करनी होगी। सशर्त बिड अनुमत / स्वीकार्य नहीं है। निविदाकर्ता की अर्हता के लिए अपेक्षित दस्तावेजों एवं बिड आमंत्रण सूचना में उल्लिखित अन्य सभी दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां अपलोड की जानी हैं, तकनीकी-वाणिज्यिक बिड कवर-I में तथा मूल्य बिड की प्रस्तुति कवर-II में की जानी है। सिस्टम द्वारा निर्मित तकनीकी-वाणिज्यिक एवं मूल्य बिड के तुलनात्मक विवरण के लिए ऐसे संबंधित विवरण एक्सेल फार्मेट में प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित हैं। निविदाकर्ता को ऑनलाइन स्वरूप में यह वचनपत्र देना होगा कि यदि अर्हता मापदंडों के संबंध में प्रस्तुत कोई सूचना / घोषणा/ स्कैन दस्तावेज किसी भी चरण में मिथ्या अथवा भ्रामक पाए जाएंगे तो ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकेगी। पेशगी बिड की प्रस्तुति के दौरान इलैक्ट्रानिक स्वरूप में प्रस्तुत पेशगी धन जमा (ईएमडी) एवं बिड शुल्क (डिमांड ड्राफ्ट / बैंकर चैक / पे आर्डर) की प्रस्तुति ऑनलाइन (स्कैन करके) की जानी है। ऐसी प्रस्तुति का अर्थ यह होगा कि पेशगी धन जमा एवं बिड शुल्क की प्राप्ति इलैक्ट्रानिक रूप में की गई है। तथापि, वसूली के उद्देश्य से निविदाकर्ता को डिमांड ड्राफ्ट / बैंकर चैक / पे आर्डर की मूल प्रतियां नामोनिर्दिष्ट अधिकारी को डाक अथवा दस्ती माध्यम से इस प्रकार भेजनी चाहिए कि ये बिड खुलने से पूर्व प्राप्त हो जाएं। पेशगी धन जमा के प्रति छूट के मामले के लिए निविदाकर्ता को बिड प्रस्तुति के दौरान छूट से संबंधित दस्तावेज की स्कैन प्रति अपलोड करनी चाहिए;

v) शुद्धिपत्र , स्पष्टीकरण, संशोधन एवं बिड्स का प्रत्याहार: सामान्य बिड प्रक्रिया के दौरान आवश्यक परिवर्तनों सहित ऐसे सभी चरणों का निर्वाह भी *ऑनलाइन* किया जाना है*;*

vi) **बिड खोलना :** ऑनलाइन बिड के निर्माण के समय निर्धारित बिड खोलने वाले अधिकारियों द्वारा तकनीकी-वाणिज्यिक और मूल्य की दोनों निविदाएं ऑनलाइन स्वरूप में खोली जाएंगी। ऑनलाइन बिड खोलने के समय संबंधित निविदाकर्ता इस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं तथा वे सभी निविदाकर्ताओं की बिड्स के परिणाम देख सकते हैं। तकनीकी-वाणिज्यिक बिड खोलने के मामले में सिस्टम से यंत्रवत विधि से तकनीकी संवीक्षा रिपोर्ट एवं वाणिज्यिक संवीक्षा रिपोर्ट तथा मूल्य बिड खोलने के समय मूल्य प्रतिस्पर्धा विवरण उत्पन्न होते हैं, जो ऑनलाइन भाग लेने वाले निविदाकर्ता भी देख सकते हैं। बिड खोलने के लिए निर्धारित अधिकारी बिड्स एवं रिर्पोटों / विवरणों को डाउनलोड करके आगामी प्रक्रिया के लिए उनपर हस्ताक्षर करते हैं। मूल्य बिड खोले जाने के मामले में, बिड खोलने की तिथि एवं समय पोर्टल पर अपलोड किया जाता है तथा सिस्टम से उत्पन्न ईमेल एवं एसएमएस अलर्ट के माध्यम से, तकनीकी-वाणिज्यिक स्वीकार्य निविदाकर्ताओं की शार्टलिस्टिंग के पश्चात, शार्टलिस्ट की गई फर्मों को सूचना भेजी जाती है;

vii) **दस्तावेज न्यूनता**: प्रापण इकाई द्वारा ऑनलाइन बिड प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता से ऐसे किसी दस्तावेज की मांग, पारंपरिक निविदाकर्ता की तरह से ही, की जा सकती है जिससे बिड प्रक्रिया की कोई व्यवस्था भंग न होती हो;

viii) **तकनीकी-वाणिज्यिक और मूल्य बिड्स का मूल्यांकन**: यह प्रक्रिया सामान्य बिड प्रक्रिया की तरह से ही सिस्टम से उत्पन्न रिर्पोटों एवं तुलनात्मक विवरणों के आधार पर ऑफ़लाइन की जाती है;

ix) **अनुबंध जारी करना**: अनुबंध ऑफलाइन स्वरूप में जारी किए जाते हैं तथा इनकी एक स्कैन प्रति

पोर्टल पर अपलोड की जाती है। इसके संबंध में और अधिक कार्य किए जाने चाहिए। इससे संबंधित सूचना एवं प्रकटीकरण की प्रकृति सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 4(1) (ख), 4(2) एवं 4(3) से संगत होनी चाहिए जिससे कि पारदर्शिता में संवर्धन होने के साथ साथ वैयक्तिक आरटीआई आवेदनों में कमी आ सके; तथा

x) **पेशगी धन जमा की धनवापसी** : बिड की वैधता की अंतिम तिथि के पश्चात, परंतु अनुबंध का निर्धारण किए जाने से 30 (तीस) दिन से अधिक नहीं, असफल निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत पेशगी धन जमा की ब्याज रहित धनवापसी यथाशीघ्र, ई-भुगतान प्रणाली के माध्यम से की जानी चाहिए। सफल निविदाकर्ताओं की पेशगी जमा राशि की धनवापसी अनुबंध में अपेक्षित निष्पादन प्रतिभूति की प्राप्ति के पश्चात की जानी चाहिए।

(इसकी प्रकृति जेनेरिक है। प्रापण इकाईयों को सेवा प्रदाता के साथ इससे संबंधित विवरण का समाधान एवं निर्धारण करना चाहिए)

****

स्रोत: कार्य प्रापण मैनुअल, 2019, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग

सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) के माध्यम से ई-प्रापण

जीएफआर 2017 का नियम 160 ई-प्रापण प्रक्रिया से संबंधित है।

ऑनलाइन मार्केटप्लेस (अथवा ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस) एक प्रकार की ई-कॉमर्स साइट है जहां अनेक विक्रेता उत्पाद अथवा सेवाओं के प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं तथा जहां क्रेता किसी विक्रेता द्वारा प्रस्तावित उत्पाद / सेवा का चयन अपने स्वयं के मापदंडों के आधार पर कर सकते हैं। ऑनलाइन मार्केटप्लेस में, क्रेता के संव्यवहारों का संसाधन मार्केटप्लेस ऑपरेटर करते हैं तथा उसके पश्चात उत्पाद / सेवाओं की आपूर्ति एवं संपादन प्रतिभागी खुदरा व्यापारी द्वारा सीधे की जाती है। अन्य क्षमताओं में नीलामी (फारवर्ड अथवा रिवर्स), कैटलॉग, ऑर्डरिंग, क्रेता द्वारा अपनी अपेक्षाओं की पोस्टिंग, भुगतान गेटवे इत्यादि शामिल हो सकते हैं। सामान्यत:, ऑनलाइन मार्केटप्लेस में प्रदाताओं की विस्तृत श्रेणियों में से उत्पादों का एकत्रण होने के कारण चयन सामान्यत: व्यापक होते हैं, उपलब्धता उच्चतर होती है, तथा विक्रेता-विशिष्ट ऑनलाइन खुदरा स्टोरों की तुलना में मूल्य अधिक प्रतिस्पर्धी होते हैं।

पृष्ठभूमि

माननीय प्रधान मंत्री द्वारा सचिवों के समूह की अनुशंसा के आधार पर सरकारी संगठनों / विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की ओर से क्रय किए जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए एक समर्पित ई-मार्केटप्लेस की स्थापना का निर्णय लिया गया था। इसका अर्थ **डीजीएसएंडडी** को वस्तु एवं सेवाओं के प्रापण तथा बिक्री के लिए एक डिजीटल ई-वाणिज्य पोर्टल में परिवर्तित करना है।

पांच माह के रिकार्ड समय में निर्मित गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (जेम), विभिन्न सरकारी विभागों/ संगठनों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अपेक्षित सामान्य उपयोग की वस्तुओं एवं सेवाओं के ऑनलाइन प्रापण की सुविधा प्रदान करता है। यह सरकारी उपयोक्ताओं को उनके धन के सर्वश्रेष्ठ मूल्य के अनुरूप ई-नीलामी, रिवर्स ई-नीलामी एवं मांग एकत्रण की सुविधा के उपकरण प्रदान करता है।

भारत सरकार (व्यवसाय विनियोजन) नियमावली, 1961 में दिनांक 8 दिसम्बर, 2017 की अधिसूचना के माध्यम से निम्नलिखित प्रविष्टि की गई है:

- 32. राष्ट्रीय सार्वजनिक प्रापण पोर्टल - गर्वनमेंट ई-मार्केटप्लेस का विकास, संचालन एवं अनुरक्षण"।

सरकारी उपयोक्ताओं की ओर से GeM (जेम) के माध्यम से किया जाने वाले क्रय प्राधिकृत हैं तथा वित्त मंत्रालय द्वारा सामान्य वित्त नियमावली, 2017 में शामिल नए नियम संख्या 149 में इसकी अनिवार्यता की गई है।

राष्ट्रीय सार्वजनिक प्रापण पोर्टल (कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनी)

GeM (जेम) एसपीवी स्वामित्व, GeM (जेम) प्लेटफॉर्म के निर्माण, संचालन एवं अनुरक्षण की प्रक्रियाएं करता है जिससे केन्द्र एवं राज्य सरकार के मंत्रालयों / विभागों, केन्द्र एवं राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू एवं एसपीएसयू), स्वायत्त संस्थानों एवं स्थानीय निकायों को पारदर्शी एवं कुशल स्वरूप में एंड-टू-एंड ऑनलाइन मार्केटप्लेस उपलब्ध होता है।

प्रक्रिया

सामान्य उपयोग की वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए GeM (जेम) एक वन-स्टाप शॉप है। GeM (जेम) पर होने वाली प्रापण प्रक्रियाएं आपूर्ति आदेश दिए जाने से लेकर आपूर्तिकर्ता को भुगतान किए जाने तक के लिए एंड-टू-एंड होती हैं। ऐसा बेहतर पारदर्शिता एवं उच्चतर कुशल संपादन के सुनिश्चय के लिए किया गया है। सभी प्रक्रियाएं इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन माध्यम से होती हैं।

अन्य ई-कामर्स पोर्टलों की तरह ही GeM (जेम) पर उत्पादों तथा सेवाओं की सूचीबद्धता विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा की जाती है। GeM (जेम) पर आपूर्तिकर्ताओं का पंजीकरण ऑनलाइन एवं पैन, एमसीए -21, आधार सत्यापन आदि पर आधारित है। आपूर्तिकर्ता अपने उत्पादों की प्रस्तुति GeM (जेम) पर कर सकते हैं तथा क्रेता ऐसे उत्पादों को देख सकते हैं और साथ ही साथ उनकी तुलना भी कर सकते हैं। रिवर्स नीलामी एवं ई-नीलामी के उपकरण भी उपलब्ध हैं जिनके उपयोग थोक मात्रा में प्रापण किया जा सकता है।

मांग एकत्रण

विभिन्न संगठनों की अपेक्षाओं एवं मांग का एकत्रण करके उपयोक्ता के लिए सर्वोत्तम मूल्य उपलब्ध हो सकते हैं। इस प्रक्रिया से आपूर्तिकर्ता प्रोत्साहित होकर अपने सर्वश्रेष्ठ मूल्य उद्धृत करता है। समान प्रकार के उत्पादों के लिए विभिन्न सरकारी विभागों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की मांग को एक साथ मिला लिया जाता है तथा एकत्र मांग के आधार पर रिवर्स नीलामी की जाती है जिससे क्रेता को सर्वश्रेष्ठ मूल्य प्राप्त होता है।

GeM (जेम) के माध्यम से प्रापण के लिए प्राधिकार :

GeM (जेम) एसपीवी द्वारा संभावित आपूर्तिकर्ताओं के लिए जेम के माध्यम से क्रय जाने वाली वस्तुओं के आवधिक विज्ञापन जारी करने के साथ साथ पर्याप्त प्रचार करने का सुनिश्चित किया जाएगा। जेम पर पर आपूर्तिकर्ताओं की साख का प्रमाणन GeM (जेम) एसपीवी द्वारा किया जाना चाहिए। प्रापण प्राधिकारियों द्वारा दरों की औचित्यपरकता का प्रमाणन किया जाएगा। सरकारी क्रेताओं द्वारा सीधे ऑनलाइन क्रय के लिए जेम पोर्टल का उपयोग निम्नानुसार किया जाएगा:

i) जेम पर उपलब्ध किसी भी आपूर्तिकर्ता के माध्यम से 50,000/- रुपए (पचास हजार रुपए) तक की अपेक्षित गुणवत्ता, विनिर्देश एवं आपूर्ति की अवधि के अनुसार;
ii) जेम के माध्यम से 50,000/- रुपए (पचास हजार रुपए) से अधिक और 30,00,000/- रुपए (रुपए तीस लाख) तक के लिए। उपलब्ध विक्रेताओं के मध्य कम से कम तीन भिन्न निर्माताओं में से सबसे कम मूल्य वाले विक्रेता जो अपेक्षित गुणवत्ता, विनिर्देश एवं आपूर्ति अवधि के

अनुरूप हैं। सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारण किए जाने की स्थिति में क्रेता द्वारा ऑनलाइन बिड एवं ऑनलाइन रिवर्स बिड के लिए जेम पर उपलब्ध उपकरण का उपयोग किया जा सकता है;

iii) निवेदित दरों की प्राप्ति की अनिवार्यता के साथ आपूर्तिकर्ता के माध्यम से अपेक्षित गुणवत्ता, विनिर्देश एवं आपूर्ति अवधि के अनुरूप 30,00,000/- रुपए (रुपए तीस लाख) से अधिक के क्रय जेम पर उपलब्ध ऑनलाइन बिड अथवा रिवर्स नीलामी उपकरण के उपयोग से किए जा सकते हैं आपूर्तिकर्ता के माध्यम से, जिसकी न्यूनतम कीमत आवश्यक गुणवत्ता, विनिर्देश और वितरण अवधि को पूरा करने के बाद अनिवार्य रूप से बोलियां प्राप्त करने के बाद, ऑनलाइन बोली या रिवर्स नीलामी उपकरण का उपयोग करके प्रदान की जाती है। जीईएम ;

iv) पोर्टल पर पंजीकृत सभी विद्यमान विक्रेताओं अथवा अन्य पंजीकृत विक्रेताओं के लिए जेम के नियम एवं शर्तों के अनुरूप विशिष्ट उत्पाद/सेवा के अनुसार वस्तु / सेवाओं के प्रस्ताव की प्राप्ति के लिए ऑनलाइन ई-बिडिंग/रिवर्स नीलामी के आमंत्रण उपलब्ध होते हैं;

v) उपर्युक्त मौद्रिक सीमा केवल जेम के माध्यम से किए जाने वाले क्रय के लिए लागू है। जेम के अलावा किए जाने वाले अन्य क्रय के लिए जीएफआर नियमावली लागू होगी;

vi) मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अपने बजट अनुमान (बीई) तैयार करते समय अपनी अपेक्षाओं/उपयुक्तता के अनुसार "ओपेक्स" मॉडल अथवा "सीएपीईएक्स" मॉडल पर वस्तुओं और सेवाओं की अपनी क्रय अपेक्षाओं का निर्धारण और अपने वार्षिक बजट अनुमोदन के 30 (तीस) दिनों के भीतर जेम पोर्टल पर वस्तुओं और सेवाओं के क्रय की योजना तैयार करनी होगी;

vii) <u>जेम पर उपलब्ध बिजनेस एनालिटिक्स (बीए) उपकरण के उपयोग से क्रेता आदेश जारी करने से पूर्व जेम पर पूर्व क्रय मूल्य, विभाग द्वारा अपने लिए किए गए पिछले क्रय इत्यादि के साथ साथ मूल्यों की औचित्यपरकता ज्ञात कर सकते हैं ।</u>

viii) जेम पर एल-1 क्रय/बिडिंग/रिवर्स नीलामी के माध्यम से किए जाने वाले प्रापण अथवा कुल मांग के अनुमानित मूल्य के संदर्भ में उच्चतर प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने की अपेक्षा से बचाव के लिए वस्तुओं की मांग के क्रय का विभाजन छोटे भागों में नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए कि दर अनुबंधों की तरह से जेम पोर्टल पर प्रापण की दर की औचित्यपरकता का दायित्व जेम एसपीवी का नहीं है। प्रापण इकाई को <u>दरों की औचित्यपरकता का सुनिश्चित करने के लिए उचित सावधानी बरतनी चाहिए।</u>

जेम पोर्टल: https://gem.gov.in

इस पोर्टल पर उपयोक्ता संगठन के पंजीकरण, आपूर्तिकर्ता पंजीकरण, उत्पादों की सूची, नियम एवं शर्तें, ऑनलाइन बिडिंग, रिवर्स नीलामी, मांग एकत्रण, कॉल सेंटर इत्यादि से संबंधित विवरण उपलब्ध है।

जेम में भुगतान प्रक्रिया :

जेम में भुगतान प्रक्रिया व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी दिनांक 26 मई, 2016

के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ.26/4/2016-पीपीडी द्वारा शासित है। इस कार्यालय ज्ञापन की मुख्य विशेषताएं ये हैं कि जेम पोर्टल पर किए जाने वाले क्रय के भुगतान किसी प्रकार के विलंब के बिना किए जाने अनिवार्य हैं। परेषिती से माल की प्राप्ति के दस दिन के भीतर डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित ऑनलाइन परेषिती रसीद और स्वीकृति प्रमाण पत्र जारी करने की अपेक्षा की गई है। इसके पश्चात, भुगतान अधिकतम दस दिन के भीतर किया जाना अपेक्षित है। क्रेता के संबंध में ऑनलाइन स्वरूप में जारी डिजीटल हस्ताक्षरों के साथ जारी परेषिती रसीद एवं स्वीकृति प्रमाण पत्र जारी करने की समय सीमा दो (2) कार्यदिवस, संबंधित डीडीओ के लिए एक (1) कार्यदिवस तथा संबंधित पीएओ के लिए पीएफएमएस/सरकारी वित्त प्रणाली / बैंकों के माध्यम से आपूर्तिकर्ता के खाते में भुगतान करने की समय सीमा दो (2) कार्यदिवस है। समाधान की अपेक्षा वाले किसी मामले को प्रत्येक एजेंसी (क्रेता, डीडीओ एवं पीएओ) में उच्चतर स्तर पर अग्रेषित किया जाना अपेक्षित है तथा ऐसे मामलों के समाधान की पूर्ण प्रक्रिया 24 (चौबिस) घंटों में की जानी अपेक्षित है तथा हॉलिडे सहित भुगतान अधिकतम दस दिन में कर दिया जाना चाहिए।

इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स नीलामी (आरए)

इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स नीलामी (आरए) एक प्रकार की नीलामी (डायनामिक प्रापण विधि के रूप में वर्गीकृत) है जिसमें ऑनलाइन रिवर्स नीलामी के प्रारंभ से पूर्व प्रारंभ मूल्य, बिड ह्रास, नीलामी की अवधि, स्वचालित विस्तारों की अधिकतम संख्या घोषित की जाती है। यदि आवश्यक हो तो रिवर्स नीलामी की प्रक्रिया सक्षम निविदाकर्ताओं, जिन्हें रिवर्स नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जानी है, को शार्टलिस्ट करने के लिए अर्हता / पीक्यूबी के ई-प्रापण चरण से पूर्व की जा सकती है। रिवर्स नीलामी प्रारंभ होने के पश्चात शार्टलिस्ट किए गए निविदाकर्ता पुनरावृति (इटरेटिव) प्रक्रिया में ऑनलाइन बिडिंग कर सकते हैं जिसमें रिवर्स नीलामी की अवधि में न्यूनतम निविदाकर्ता का स्थान किसी भी क्षण अलग करके प्रतिस्पर्धी निविदाकर्ता की अपेक्षाकृत न्यूनतम बिड को दिया जा सकता है। यदि नए न्यूनतम बिड की प्राप्ति समाप्ति के अंत से पूर्व के कुछ मिनटों (उदाहरण के लिए दो मिनट) में होती है तो अन्यों से प्रतिक्रिया की प्राप्ति के लिए समाप्ति समय का विस्तार कुछ मिनटों (उदाहरण के लिए पांच मिनट) के लिए यंत्रवत विस्तारित हो जाता है। ऐसे विस्तारों की अधिकतम संख्या (उदाहरण के लिए पांच) निर्धारित होती है। निर्धारित / विस्तारित समय के अंत में सर्वाधिक स्वीकार्य बिड को सफल घोषित किया जाता है। रिवर्स नीलामी की अनुमति प्रदान के संबंध में केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा विभागों / संगठनों से क्रयों एवं विक्रयों की रिवर्स नीलामी करने एवं इससे संबंधित विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित करने का निर्णय स्वयं लेने के लिए कहा गया है। तथापि, पूर्ण प्रक्रिया का निर्वाह पारदर्शी एवं निष्पक्ष स्वरूप में किए जाने का सुनिश्चय किया जाना चाहिए।

प्रापण इकाई द्वारा प्रापण के लिए प्रापण की विषय विषयक इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स नीलामी विधि का चयन किया जा सकता है, यदि:

i) रिवर्स नीलामी की मदों का चयन सावधानी पूर्वक किया जाए। रणनीतिक, महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण प्रकृति की वस्तुएं, बाजार में कम आपूर्ति वाली वस्तुएं और ऐसी वस्तुएं जिनके आपूर्तिकर्ता काफी कम हैं, रिवर्स नीलामी के लिए उत्तम नहीं हैं।

ii) उपयोगी वस्तुओं की प्रकृति वाली वस्तुएं, व्यावसायिक रूप से ऑफ-द-शेल्फ (तैयार की जाने वाली) वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जिनके आपूर्तिकर्ताओं की संख्या काफी विशाल है तथा उच्च मूल्य के प्रापण रिवर्स नीलामी के लिए अधिक योग्य हो सकते हैं;

iii) जहां प्रापण इकाई के लिए ऐसा व्यवहार्य हो कि वह प्रापण के विषयक विषय का विस्तृत वर्णन तैयार कर सके;

iv) जहां निविदाकर्ताओं का इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स नीलामी में प्रतिभागिता की अर्हता के लिए ऐसा प्रतिस्पर्धी बाजार हो जिसमें प्रभावी प्रतिस्पर्धा का सुनिश्चय हो सके;

v) सफल बिड निर्धारित करने से संबंधित प्रापण इकाई द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले मापदंड मात्रात्मक हों और जिनकी अभिव्यक्ति मौद्रिक अर्थों में की जा सकती हो;

vi) ऐसे मामलों में जहां निविदाकर्ताओं की पूर्व-अर्हता आवश्यक मानी गई है, रिवर्स नीलामी का निर्वाह अलग पीक्यूबी (इलेक्ट्रॉनिक अथवा अन्य स्वरूप में) में केवल सफल निविदाकर्ता के मध्य किया जा सकता है।

श्रेणी-विशिष्ट मैनुअल अथवा अन्य दिशानिर्देशों में अधिक विस्तृत दिशानिर्देशों की शर्त पर इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स नीलामी की प्रक्रिया में, नामत:, निम्नलिखित शामिल:

i) प्रापण इकाई द्वारा बिडों की प्राप्ति, ई-प्रापण के समान प्रावधानों के अनुसार प्रकाशन अथवा सूचना प्रेषण के उपयोग से, इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स नीलामी के आमंत्रण के माध्यम से की जानी चाहिए; तथा

ii) ई-प्रापण में निर्दिष्ट सूचना के अलावा आमंत्रण में निम्नलिखित से संबंधित विवरण शामिल होंगे:

क) नीलामी के लिए एस्सेस तथा पंजीकरण;

ख) नीलामी के प्रारंभ एवं समापन से संबंधित सूचना;

ग) नीलामी के संचालन से संबंधित मानदंड; तथा

घ) अन्य कोई जानकारी जो खरीद की विधि के लिए प्रासंगिक हो सकती है। (जीएफआर 2017 का नियम 167)

****

ई-सतर्कता

प्रस्तावना

ई-सतर्कता क्या है?

सामान्य बोलचाल में 'सतर्कता' का अर्थ सावधानीपूर्वक ध्यान देकर हमारे आसपास घटित हो रही चूकों अथवा उल्लंघनों को ज्ञात करना है। इसके अर्थ में सतर्क दृष्टि, गवर्नेंस गतिविधियों के अंतर्गत की जा रही गलत क्रियाओं का निवारण करना और उनका पता लगाने का भाव है। ई-सतर्कता आधुनिक प्रौद्योगिकी की प्रभावन क्षमता से सतर्क दृष्टि, निवारण एवं ज्ञात करने का आधुनिक अस्त्र है। ई-सतर्कता से गवर्नेंस गतिविधियों में मशीन इंटेलिजेंस की अंतर्निहित प्रणाली के उपयोग से कानून, नियमों एवं निदेशों के अनुपालन का सुनिश्चय हो पाता है तथा इससे उल्लंघनों, यदि कोई हों, को ज्ञात किया जा सकता है। इससे सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों के कामकाज में सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और समानता का भी सुनिश्चय होता है जो सुशासन का प्रतीक है।

1.1 पृष्ठभूमि

(क) तकनीकी क्रांति के इस युग में, एक कुशल, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित विधि से जटिल एवं विविध प्रकार के सरकारी क्रियाकलापों का संपादन संभव हो गया है। पिछले कुछ वर्षों में, विभिन्न संगठनों तथा केन्द्र एवं राज्य सरकारों के प्राधिकरणों द्वारा ई-गवर्नेंस के युग में आगे बढ़कर विशाल संख्या में पहलें की गई हैं। सेवाओं की आपूर्ति एवं सेवाओं तक पहुंच की विधि को सरल बनाकर सुधार के लिए अनेक स्तरों पर सतत प्रयास किए गए हैं। संगठनों का कम्प्यूटरीकरण किए जाने के परिणामस्वरूप भारत में आईसीटी का उपयोग तीव्र गति से बढ़ा है जिससे नागरिक केन्द्रित, सेवा उन्मुख, गति एवं पारदर्शिता जैसी पहलें किए जाने से गवर्नेंस के उत्तम बिंदुओं का संपुटीकरण हो सका है।

(ख) संगठनों द्वारा सरकार से सरकार (जी2जी), सरकार से नागरिक (जी2सी), नागरिक से सरकार (सी2जी), सरकार से व्यवसाय (जी2बी) तथा व्यवसाय से उपभोक्ता (बी2सी) आदि जैसे ग्राहक उन्मुख एवं निर्बाध आपूर्ति की सेवाओं की प्रभावशीलता के सुनिश्चय के लिए अपनी आंतरिक प्रणालियों को कारगर बनाने के लिए स्वचालन, डिज़िटाइज़ेशन तथा डिजिटिलाइजेशन की प्रक्रियाएं की गई हैं। जिन प्रमुख क्षेत्रों में ऑनलाइन सिस्टम ने विशाल प्रभाव डाला है, वे हैं ई-प्रापण, ई-भूमि रिकॉर्ड, ई-कार्यालय, ई-परीक्षा, ई-भर्ती, ई-भुगतान, ई-बैंकिंग, छात्रवृत्ति, पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र, ई-सब्सिडी, ऑनलाइन बुकिंग / आरक्षण (रेलवे, एयरलाइंस, रोडवेज, आदि), पासपोर्ट सेवाएं, ई-न्यायालय एवं अन्य कानूनी सेवाएं, चिकित्सा परामर्श, तथा अन्य सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं।

(ग) डिजीटाइजेशन से जहां एक और अनेक श्रेष्ठताएं स्थापित हुई हैं, छोटे छोटे भ्रष्टाचार कम हुए हुए हैं, आपूर्ति की सेवाएं बेहतर, जीवन स्तर में सुधार आया है, सेवाओं की प्राप्ति में लगने वाला समय कम हुआ है, पारदर्शिता बढ़ी है, नागरिकों में जागरूकता का संचार हुआ है वहीं

इसमें स्वयं अपने द्वारा उत्पन्न भेद्यता की अपनी ही ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जो जानबूझकर / अनजाने में होती है और जिनका निदान एवं समाधान अनवरत आधार पर किया जाना अपेक्षित है। साइबर जालसाजियों, साइबर अपराधों, सूचना प्रौद्योगिकी में सक्षम अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा ग्राहकों एवं बाह्य व्यक्तियों के साथ किए जाने वाले दूराचार पूर्ण व्यवहार के मामले जानकारी में आए हैं। संबंधित संगठनों के अलावा, केन्द्रीय सतर्कता आयोग में भी इस प्रकार के दूराचार पूर्ण व्यवहारों की घटनाओं की रिपोर्टें / शिकायतें प्राप्त हो रही हैं / प्राप्त हुई हैं।

(घ) संगठनों में प्रणाली एवं सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्लेटफार्म प्रक्रियाएं सुदृढ़ होनी चाहिए तथा इसमें सतर्कता को अग्रसक्रिय होकर अपनी भूमिका का निर्वाह संगठनात्मक परिवर्तन अंगीकार करके इस प्रकार से करना चाहिए कि सतर्कता अथवा प्रणालीबद्ध न्यूनताओं के दृष्टिकोण से संवीक्षा की परिधि में प्रक्रियाओं एवं सूचना को समाहित किया जा सके। इस प्रकार की संवीक्षा के लिए क्षमता, कौशल से युक्त क्षमता निर्माण करने एवं ऐसे उपकरण प्राप्त करने की आवश्यकता प्रतीत हुई है जो सतर्कता के लिए डेटा, रिपोर्टों एवं प्रक्रियाओं की संवीक्षा में सहायक होगा।

1.2 सम्मुख व्याप्त समस्याएं

सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों के सम्मुख वर्तमान में भ्रष्टाचार के प्रति व्याप्त सुग्राह्यता की संभावनाओं एवं दूराचार पूर्ण व्यवहारों की घटनाओं के विवरण नीचे दिए गए हैं:-

(i) ई-प्रापण/ई-बिडिंग : सिस्टम में व्याप्त अंतर्निहित अशक्तता / भेद्यता के परिणामस्वरूप ऐसी कुछ स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जिनमें कुछ निविदाकर्ताओं को प्रतिस्पर्धियों की बिड जैसी कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई हो तथा जिसके प्रभाव बिडका परिणाम उनके पक्ष में हुआ हो। तकनीकी/वित्तीय बोली का एन्क्रिप्शन न किए जाने और इसकी भेद्यता का क्षेत्र एस्सेस योग्य होने से ऐसा संभव है। एन्क्रिप्शन एवं ऑडिट ट्रेल / लॉग का सुनिश्चय किया जाना अनिवार्य है। ट्रेल्स / लॉग्स का अनुरक्षण इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि सिस्टम प्रशासकों द्वारा इसमें किसी प्रकार का सुधार / बदलाव न किया जा सके।

(ii) ई-भर्ती: ई-प्लेटफॉर्म पर रिक्तियों/भर्ती की सूचना के प्रकाशन में देरी होने तथा ऐसी सूचना की वास्तविक ई-दृश्यता (विजिबिलिटी) अवधि कम होने; इसके अलावा, ऑनलाइन फॉर्म खोलने का लिंक भंग होने तथा पिछले कुछ दिनों / कट ऑफ समय के घंटों में सिस्टम धीमा / हंग होने एवं संबंधित क्षेत्र की आपत्ति दर्ज करने के प्रावधान न होना।

(iii) ई-भुगतान - जालसाजी तथा ठगी: नियमित आधार पर ऐसे अनेक मामले सूचित किए जाते हैं जिनमें नागरिकों के साथ विभिन्न बैंकों एवं उपलब्ध एप्प्स पर किए जाने वाले ऑनलाइन संव्यवहार में सामने आते हैं जिनमें नागरिकों को विभिन्न बैंकों और उपलब्ध ऐप के साथ ऑनलाइन लेनदेन करते समय ठगा जाता है। ग्राहक के खाते में से भुगतान काट लिया जाता है परन्तु किसी प्रकार की ऑटो रिवर्सल भुगतान अथवा त्वरित धनवापसी किए बिना सेवाओं /

माल की आपूर्ति नहीं की जाती है। इस प्रकार की दूराचार पूर्ण प्रक्रियाओं से मोटी रकम की हेराफेरी होती है। बैंक, वित्तीय सेवाएं एवं बीमा (बीएफएसआई) क्षेत्र के कर्मचारियों की मिलीभगत, बाहरी व्यक्तियों अथवा विक्रेता की सेवा करने वाले बीएफएस क्षेत्र के कर्मचारियों की इस प्रकार की घटनाओं / दुराचार में संलिप्तता को भी नकारा नहीं जा सकता है। बीएफएसआई क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का गहन उपयोग होने से अनाधिकृत एस्सेस, प्रकटीकरण एवं भ्रष्ट कर्मचारियों द्वारा बदलाव किए जाने का जोखिम अत्याधिक है। इस प्रकार के ई-भुगतान अंतरण को किसी भी संभावित मानव हेराफेरी से बचाया जाना आवश्यक है। कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते, ठेकेदारों / विक्रेताओं के भुगतान अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किए जाते हैं तथा इसमें हेराफेरी एवं जालसाजी के लिए भेद्य हैं। आशित लाभग्राहियों के बैंक विवरण (ठेकेदारों के भुगतान, धनवापसी इत्यादि के लिए) में किए जाने वाले परिवर्तन की अनुमति सामान्यत: नहीं दी जानी चाहिए। यदि ऐसा किया जाना अत्यावश्यक हो (उदाहरण के तौर पर बैंक बंद होने / विलय होने इत्यादि की स्थिति में) तो इससे संबंधित कार्रवाई नियंत्रित स्वरूप में, बहु-स्तरीय अनुमोदनों एवं ऑडिट ट्रेल्स के साथ की जानी चाहिए।

1.3 सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सिस्टम की सुदृढ़ता बढ़ाने के लिए अग्रसक्रिय उपाय

(क) ई-सिस्टम्स एवं प्रक्रिया का संरेखन आईटी अधिनियम, नियमावलियों के प्रावधानों एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा समय समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए।

(ख) संगठन में कड़े अनुपालन के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) स्थापित होनी चाहिए।

(ग) गोपनीयता, सत्यनिष्ठा, किसी कार्रवाई की स्वीकृति के अविवादित सत्यापन (खंडन मुक्त) के संदर्भ में सूचना सुरक्षा का सुनिश्चय करने के लिए ई-प्लेटफार्म्स तथा वेबसाइटों, पोर्टलों, एप्पलीकेशंस, डेटाबेस, यूजर खाता, क्लाउड सेवाओं, मोबाइल एप्पलीकेशंस, स्टोरेज डिवायस, एप्पलीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस (एपीआई), एन्क्रिप्शन मैकेनिज्म इत्यादि से युक्त सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित आईसीटी अवसंरचना होनी आवश्यक है। संगठनों के इलेक्ट्रॉनिक सेवा परिवेश को अद्यतन एवं सुदृढ़ रखा जाना चाहिए।

(घ) सुरक्षा ऑडिट: प्रत्येक सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों और प्रक्रियाओं का सुरक्षा ऑडिट एटीक्यूसी अथवा सीईआरटी-आईएन में पैनलबद्ध एजेंसियों द्वारा किया जाना चाहिए। सॉफ़्टवेयर एप्पलीकेशंस के लिए सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली का परीक्षण सीईआरटी-आईएन के दिशानिर्देशों के अनुसार नियमित अंतराल पर किया जाना चाहिए। तथापि, यदि सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन अथवा सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली में कोई बड़ा बदलाव किया गया है तो परिवर्तित एप्पलीकेशन / सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली को उत्पाद परिवेश में जारी करने से पूर्व सुरक्षा के दृष्टिकोण से ऐसे बदलाव के प्रभाव का विश्लेषण एवं परीक्षण / ऑडिटिंग की जानी चाहिए। तथापि, सीईआरटी-आईएन अथवा अन्य समान प्रकार के किसी संगठन में पैनलबद्ध एजेंसियों के प्रमुख कार्मिकों का मूलभूत विवरण जैसे नाम, आधार नम्बर, पैन नम्बर, इत्यादि अनुरक्षित किया जाना चाहिए तथा इसे

सीईआरटी-आईएन अथवा समान प्रकार के संगठन में डायनामिक रूप से अपडेट किया जाना चाहिए।

(ङ) सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली : संगठनों में ऐसी नीति स्थापित होनी चाहिए जिससे संगठन की आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं के अनुरूप डेटा प्राधिकार, प्रोस्सेस प्राधिकार, डेटा सुरक्षा, गैर-खंडन इत्यादि का सुनिश्चय होता हो। संवेदनशील एवं गोपनीय डेटा वाले संगठनों को सेवाएं प्राप्त करते समय पूर्ण सावधानी बरतते हुए संगठन का सुरक्षा ऑडिट किए जाने के दौरान पैनलबद्ध एजेंसी के प्रमुख कार्मिकों की सत्यनिष्ठा का सुनिश्चय कर लेना चाहिए।

(च) डेटा का स्वामित्व और नियंत्रण केवल संबंधित सार्वजनिक संगठन के पास ही होना चाहिए।

(छ) निर्माता / जांचकर्ता की अवधारणा : जिस एजेंसी द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी सिस्टम का निर्माण किया गया है / आपूर्ति की गई है वह सूचना प्रौद्योगिकी सिस्टम की जांचकर्ता एजेंसी नहीं होनी चाहिए। जांचकर्ता को अन्य प्रक्रियाओं के साथ साथ विभेदक कोड के उपयोग से गोपनीय डेटा / डेटा क्षति की लीकेज की संभावना की जांच करनी चाहिए। ऐसा बाद में नियोजित किए गए प्रत्येक पैच के लिए किया जाना चाहिए।

(ज) सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली और इसकी ऑनलाइन ऑडिटिंग प्रणाली अलग-अलग साइलो में होनी चाहिए जिससे ऑडिटिंग सिस्टम की विशिष्टता कायम रह सके। ऑडिट प्रणाली का नियंत्रण सूचना प्रौद्योगिकी के प्रशासक के पास नहीं होना चाहिए।

(झ) संगठनों को किसी ऐसे भिन्न स्थान पर बैकअप सर्वन (सर्वरों) की स्थापना करने पर विचार करना चाहिए। जो प्राथमिक सर्वर की सटीक प्रतिकृति हो तथा जो प्राथमिक सर्वर (सर्वरों) की उत्पति संगठन द्वारा निर्धारित रन टाइम आधार अथवा नियमित अंतरालों पर करता हो। ऐसा करने से संगठन किसी प्रकार की आपदा, प्राथमिक सर्वर क्रेश होने आदि जैसी स्थिति में डेटा की प्राप्ति कर सकता है।

(ञ) ऑटो जनरेटेड अलर्ट प्रणाली , जो कि ऐसे किसी एक स्तर पर स्लो होने की स्थिति अथवा कट-ऑफ तिथि एवं समय पर बिड्स की प्रस्तुति, विभिन्न सेवाओं के उपयोग के दौरान बाधित होने की स्थिति के लिए है। इसके लिए शिकायतों की प्राप्ति एवं उनके निवारण के लिए एक विन्डो अवधि होनी चाहिए।

(ट) प्रत्येक प्रकार के संव्यवहार सर्वर क्लॉक टाइम के साथ टाइम स्टैम्प्ड होने चाहिए। सेवाएं प्रदान करने से मनाही, नियत तिथि के पश्चात सेवा प्राप्ति के अनाधिकृत उपयोग एवं सर्वर टाइम क्लॉक में छेड़खानी करके गोपनीय डेटा (यथा क्लोजिंग समय से पूर्व बिड्स को देखना) के अनाधिकृत एस्सेस से बचाव के लिए सर्वर समय सत्यापित क्लॉक जैसे कि एनपीएल क्लॉक, आईआरएसओ क्लॉक आदि के साथ सिंक होनी चाहिए। सर्वर समय में किए जाने वाले किसी भी बदलाव की स्थिति की प्रविष्टि का अनुरक्षण किया जाना चाहिए तथा ऐसे परिवर्तन से नामोनिर्दिष्ट अधिकारियों को एसएमएस / ईमेल अलर्ट भेजने के लिए भी व्यवस्थित होने चाहिए।

(ठ) संबंधित संगठन द्वारा व्यापक ऑडिट के लिए दिशानिर्देश तैयार करने चाहिए जो ई-प्रापण के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी 'ई-प्रापण सिस्टम्स के लिए गुणवत्ता अपेक्षाओं के अनुपालन के दिशानिर्देश'' के अनुसार होने चाहिए, इसकी अनिवार्यता वित्त मंत्रालय द्वारा भी की गई है।

(ड) ऑडिट ट्रेल्स : सूचना प्रौद्योगिकी के प्रत्येक सिस्टम (हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर) में ऑडिट ट्रेल्स का अनुरक्षण किया जाना चाहिए जिससे यूजर लॉगिन, एस्सेस अवधि, आदि के डिजीटल फुटप्रिंट स्थापित हो सकते हैं। ऐसे लॉग्स अनिवार्य रूप से इनेब्ल्ड (समर्थ) किए जाने चाहिए तथा इनका अनुरक्षण सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार यथोचित अवधि में किया जाना चाहिए।

(ढ) फोरेंसिक तत्परता : ई-सेवाओं में फोरेंसिक तत्परता सुदृढ़ होनी चाहिए जिससे कि घटना प्रमाण डेटा की उपयोज्यता को बरकरार रखा जा सके और फोरेंसिक जांच तत्परता एवं आसानी से कर सकें। संगठन में संव्यवहारों एवं एक्टिविटी लॉग्स रिकार्डों की रिकार्डिंग, परिरक्षण, प्रमाणन क्षमता के लिए नीति स्थापित होनी चाहिए। किन्हीं आंतरिक एवं बाह्य व्यक्तियों द्वारा किसी प्रकार के उल्लंघन अथवा हेराफेरी किए जाने के मामलों की फोरेंसिक तत्परता के लिए ई-सेवाओं का आवधिक परीक्षण किया जाना चाहिए।

(ण) सतत निगरानी एवं दृश्यता : आईसीटी अवसंरचना सुविधायुक्त ई-सेवाओं की सुरक्षा स्थिति और संचालनों की दृश्यता की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए। ई-सेवाओं की निगरानी के अलावा, सिस्टम की सुरक्षा एवं साइबर हमलों से बचाव तथा बाह्य एवं आंतरिक व्यक्तियों द्वारा किए वाले दुरूपयोग से बचाव के लिए संगठनों को सूचना सुरक्षा, परिसम्पतियों, भेद्यता, एवं जोखिमों के प्रति जागरूकता सदैव बरकरार रखनी चाहिए।

(त) जागरूकता : ई-सेवाओं के संचालक, आंतरिक व्यक्ति एवं संचालन करने वाले व्यक्ति जाने अथवा अनजाने में ई-सेवाओं में सेंध अथवा हेराफेरी कर सकते हैं। इसके लिए स्टाफ के प्रमुख सदस्यों के लिए बाह्य एवं आंतरिक जोखिमों की अवधारणा के साथ भूमिका आधारित सूचना सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम तैयार किए जाने चाहिए। जागरूकता कार्यक्रम में ई-सेवाओं के विक्रेताओं एवं आपूर्तिकर्ताओं को भी शामिल किया जा सकता है। ऐसे कार्यक्रमों की प्रभावशीलता की निगरानी वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा की जा सकती है।

(थ) क्षमता निर्माण : प्रमुख प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी कार्मिकों एवं सार्वजनिक संगठन के अन्य सम्बद्ध कर्मचारियों के लिए भेद्यता, सिस्टम एवं सुरक्षा ऑडिट, सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना की सुदृढ़ता इत्यादि के प्रमुख क्षेत्रों के संबंध में नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।

(द) यदि उपयोग में लाए जा रहे सॉफ्टवेयर अथवा हार्डवेयर का सुरक्षा ऑडिट नहीं किया गया है, तो इसे एसटीक्यूसी या सीईआरटी-आईएन पैनल की एजेंसियों से शीघ्रातिशीघ्र करवाया जाना चाहिए। ऐसे ऑडिट प्रमाणपत्र से, यदि आईटी सिस्टम के होम पृष्ठ पर प्रदर्शित है, उपयोक्ताओं के मन में आत्मविश्वास का भाव उत्पन्न होता है।

(ध) जब कभी किसी एजेंसी की सेवाएं प्राप्त करके किसी साफ्टवेयर सिस्टम का निर्माण किया जाता है तो निर्माण किए गए साफ्टवेयर एवं लाइफ सेटअप में परीक्षण सेटअप के मध्य भिन्नता करने के संबंध में अत्यधिक सावधानी बरती जानी चाहिए। इसका अर्थ है कि निर्माण एवं परीक्षण के लिए उपयोग में लाया जाने वाला सर्वर अथवा मशीन अनिवार्य रूप से उस सर्वर अथवा हार्डवेयर से भिन्न होना चाहिए जहां साफ्टवेयर का संचालन किसी मुख्यत: किया जाना है जो कि किसी भिन्न स्थल स्थल पर किया जाना चाहिए।

(न) संचालित किए जा रहे प्रत्येक सूचना प्रौद्योगिकी सिस्टम का आवधिक रूप से पुन: ऑडिट प्रत्येक दो अथवा तीन वर्ष में अथवा किसी प्रकार के प्रमुख कार्यात्मक परिवर्तन किए जाने की स्थिति में किया जाना चाहिए।

(ऩ) सूचना प्रौद्योगिकी सिस्टम के लिए मात्र यूजर आईडी एवं पासवर्ड पर निर्भरता के स्थान पर डिजीटल हस्ताक्षर सिस्टम, ई-हस्ताक्षर, ओटीपी अथवा बायोमेट्रिक आधारित यूजर सत्यापन का उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा, संगठन द्वारा निर्धारित यथोचित समय अंतराल के पश्चात सिस्टम के स्क्रीन लॉग्स भी प्रारंभ किए जा सकते हैं जिससे सिस्टम पर किसी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा एस्सेस किए जाने की सुरक्षा का सुनिश्चय होता है। इसके साथ साथ ट्रांसमिशन से पूर्व संवेदनशील दस्तावेज एनक्रिप्ट किए जाने चाहिए। उदाहरण के तौर पर ई-निविदा प्रणाली में तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड को एनक्रिप्ट किया जाना चाहिए जिससे कि बैक-एंड स्टाफ इसमें कुछ देख न सकें।

(प) आवधिक रूप से संयुक्त समीक्षा: मुख्य सतर्कता अधिकारी को विद्यमान ऑटोमेटिड सिस्टम्स एवं प्रक्रियाओं की शुद्धता के सुनिश्चय के लिए आवधिक समीक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसी समीक्षा सतर्कता विभाग, मानव संसाधन विभाग एवं सूचना प्रौद्योगिकी के अधिकारियों से युक्त समिति द्वारा वर्ष में कम से कम बार की जा सकती है। ऐसी समीक्षा की रिपोर्ट एक माह के भीतर संगठन के प्रमुख को प्रस्तुत की जानी चाहिए। समीक्षा के दौरान संज्ञान में आई किसी प्रकार की गंभीर न्यूनता का परीक्षण सर्तकता के दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए तथा अपेक्षानुसार आगे की जांच की जानी चाहिए।

(फ) सरकार द्वारा आईसीटी अवसंचना के उद्देश्य से नियमित ऑडिट की सुविधा के लिए सूचना ऑडिट संगठन सूचीबद्ध किए गए हैं। सुरक्षा ऑडिट व्यवहारों के दिशानिर्देशों से संबंधित उत्तम जानकारी का प्रकाशन ऑडिट करवाने वालों, ऑडिटरों, डेटा संचलन एवं साइबर सुरक्षा ऑडिट की आधारभूत अपेक्षाओं के लिए किया जा रहा है।

इससे संबंधित अतिरिक्त जानकारी निम्नलिखित लिंक्स के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है :

https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/CISCO Roles Responsibilities. pdf
https://www.cert-in.org.in/PDF/guideline_auditee.pdf

https://www.cert-in.org.in/PDF/Auditor Guidelines.pdf

https://www.cert-in.org.in/PDF/CyberSecurityAuditbaseline.pdf

*****

स्रोत : वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा जारी जीएफआर तथा प्रापण मैनुअल